@Shahjahanpurpol

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य- 07.10.2019

खुटार पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, पति ही निकला पत्नी का कातिल, अवैध रिश्ते के चलते की थी अपनी पत्नी की हत्या ।

घटना का विवरण

दिनांक 11/08/2019 के देवशरण मिश्रा पुत्र रामदास मिश्रा नि0 नवदिया मनकण्ठ थाना खुटार ने थाना पर सूचना दी की कि दिनांक 22/06/19 को उसके बेटे का विवाह हुआ था और तिलक वाले दिन गावं के पुरूषोत्तम से उसका झगडा हुआ था इसी रंजिश के चलते दिनांक 10.08.19 को जब उसका बेटा व बहु अपनी बहन के घर से आ रहे थे तो रास्ते मे गावं के ही पुरषोत्तम, विजय, श्याम सिंह , रामसिंह ने उनके रास्ते मे घेरकर मारपीट की तथा मेरी बहू को गोली मार दी। सूचना के आधार पर थाना खुटार पर मु0अं0सं0 404/19 धारा 307/ 302 IPC पंजीकृत किया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष खुटार द्वारा प्रारम्भ की गयी।

डा0 एस.एस. चन्नप्पा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हत्या की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग की विवेचना को गहनता से करने के आदेश दिये तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी पुवायां के निर्देशन मे थानाध्यक्ष खुटार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर घटना मे संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कडे दिशा-निर्देश दिये गये तथा गठित टीम के प्रत्येक दिवस के कार्य की समीक्षा स्वयं की जाने लगी।

इस संबंध में विवेचक द्वारा गहनता से विवेचना प्रारंभ कर मुखबिरों को अलर्ट कर सुरागरसी की जाने लगी तथा घटनास्थल का बरीकी से निरीक्षण किया गया। थानाध्यक्ष खुटार द्वारा गहनता से विवचेना करने पर मृतका के पति (रोहित) द्वारा हत्या किये जाने सम्बन्धित तथ्य प्रकाश मे आये और उसके पति की गिरफ्तार हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जाने लगा । दिनांक 07.10.19 को थाना खुटार पुलिस, क्षेत्र मे कानून व्यवस्था बनाये रखने व तलाश वांछित अपराधी हेतु भ्रमणशील थी कि जरिये मुखविर सूचना मिली कि अभियुक्त रोहित मिश्रा अपने घर आया हुआ है सूचना पर विश्वास करके थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित के घर ग्राम नवदिया मनकण्ठ मे घेरवंदी कर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर जो दक्षिण मे एक गन्ने के खेत से बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खुटार पर विधिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-रोहित मिश्रा पुत्र देवशरण मिश्रा नि0 नवदिया मनकण्ठ थाना खुटार शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1-आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस

हत्या का कारणः-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे अपनी बडी भाभी से प्रेम सम्बन्ध थे परन्तु घरवालो के दबाब मे आकर मैने स्नेहा उर्फ रूबी पुत्री सरोज मिश्रा नि0 बीसलपुर पीलीभीत से शादी कर ली। एक दिन मेरी पत्नी स्नेहा ने मुझे मेरी भाभी के साथ अपत्तिजनक स्थिति मे देख लिया था जिस कारण वह मुझसे लडती रहती थी और घर मे क्लेश रहने लगा। मै अपनी भाभी से नही मिल पा रहा था तो मेरी भाभी व मैने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने प्लान बनाया । दिनांक 10.08.19 को मै अपनी पत्नी स्नेहा के साथ अपनी बहन के घर (लखीमपुर खीरी) से वापस आ रहा था तभी मैने सोचा की अपनी पत्नी को मारने का इसे अच्छा मौका नही मिलेगा और करीब शाम 6:30 बजे ग्राम मलिका के पास मेरे गावं को जाने वाले कच्चे रास्ते पर अपनी मोटसाइकिल गिरा दी और तमंचे से अपनी पत्नी के गोली मार दी जिसे उसकी मृत्यु हो गयी। बयानों के आधार पर सुसंगत साक्ष्य एकत्रित कर अभि0 रोहित को उसके घर ग्राम नवदिया मनकण्ठ से गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा जुर्म इकबाल कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

पुलिस टीम का विवरणः-

1-थानाध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह

2-उ0नि0 श्री सुनील त्रिपाठी

3-है0 का0 मलखान सिहं

4-का0 भारत कुमार

5-का0 उमेश चन्द्र